चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0 / 3704
दिनांक : 24.06.2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव / निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषयः—कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम—2013 के अनुसार इसके दायरे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया अपर विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—967 / सत्तर—3—2021 दिनांक 21 जून, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम—2013 के अनुसार इसके दायरे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निर्देश एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा एक गूगल फार्म बनाया गया है जिस पर आप अपने—अपने महाविद्यालय / संस्थान की सूचना भरकर विश्वविद्यालय के कुलसचिव की कार्यालय की मेल आई0डी0 registrar@ccsuniversity.ac.in पर दिनांक 28.06.2021 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे की सूचना शासन को ससमय प्रेषित की जा सकें। गूगल फार्म का लिंक निम्नवत् है :—

गूगल फार्म का लिंक : WSC

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :—

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति—कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
04. प्रभारी, वेबसाइट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।

कुलसचिव